फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

चौथी कुमारी उर्फ बनाम मगेजी पब्बे —वगैरह

मुकदमा नम्बर 549/94/2009

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	3/10/25	प्र.क. 354 बहस आपत्ति प्रा.पत्र पर उभय पक्ष बहस पर श्रवण किया गया। प्रा.पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र आपत्ति कुरैना का केवल मात्र पत्रावली के निस्तारण में देरी करने की गरज से पेश किया गया है। वाद न कायम करने पर स्थायी का [illegible] के संबंध में प्रार्थी प्रतिवादी के तकाबजा एवं हिस्से के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसको आपत्ति प्रा.पत्र बाबत कुरैना रिपोर्ट का खारिज किया जाता है। साथ ही बहस अंतिम उभय पक्ष बहस पर श्रवण किया गया। तहसीलदार चौमूं से प्राप्त किये गये कुरैना विभाजन तैयार किये गये हैं कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसको वादीया का वाद मुताबिक [illegible] डिक्री किया जाता है। कुरैना सहित डिक्री [illegible] जाकर शामिल [illegible] किया गया। डिक्री पर्चा जारी किया गया। पत्रावली [illegible] होकर इन्द्राज [illegible] तथा [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

हस्ताक्षर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
चौमूं जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–549/94/2009

उनवान

श्रीमती सुकुरी देवी पत्नी सांवरमल, जाति जाट, निवासी दुल्हें सिंह की ढाणी, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. अर्जुन पुत्र रतन लाल,
2. हरिकिशन पुत्र रतन लाल,
3. सुरेश पुत्र रतन लाल,
4. मुकेश पुत्र रतन लाल,
5. श्रीमती लाडा देवी पत्नी ईश्वर लाल, (मृतक दौराने दावा)
6. चन्दाराम पुत्र ईश्वर लाल, (मृतक दौराने दावा)
   6/1. बिमला देवी पत्नी स्व0 चन्दाराम,
   6/2. सुरज्ञान पुत्र स्व0 चन्दाराम,
   6/3. बाबू लाल पुत्र स्व0 चन्दाराम,
   6/4. मंजू देवी पुत्री स्व0 चन्दाराम,
   6/5. आशा देवी पुत्री स्व0 चन्दाराम,
7. नरेन्द्र पुत्र ईश्वर लाल,
8. कालू पुत्र ईश्वर लाल,
9. लाल चन्द पुत्र ईश्वर लाल,
10. पप्पू पुत्र ईश्वर लाल,
11. प्रभाती देवी पुत्री ईश्वर लाल,
12. प्रेम देवी पुत्री ईश्वर लाल,
13. जवाहर पुत्र धन्नाराम (मृतक दौराने दावा)
    13/1. शंकर पुत्र स्व0 जवाहर,
    13/2. झम्मू पुत्री स्व0 जवाहर,
    13/3. ममता पुत्री स्व0 जवाहर,
14. फुली देवी बैवा मुरली,
15. श्रवणी देवी बैवा रमेश,
16. सुनाक्षी पुत्री स्व0 रमेश, नाबालिक जरिये संरक्षक माता श्रवणी देवी बेवा सुरेश, समस्त जाति जाट, निवासीयान् दुल्हे सिंह की ढाणी, कस्बा चौमूॅं, तहसील चौमूॅं, जिला जयपुर।
17. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूॅं, तहसील चौमूॅं, जिला जयपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूॅं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
19. नाना देवी पत्नी अर्जुन लाल, जाति जाट, निवासी दुल्हें सिंह की ढाणी, कस्बा चौमूॅं, तहसील चौमूॅं, जिला जयपुर।
20. मीरा देवी पत्नी कालूराम, जाति जाट, दुल्हें सिंह की ढाणी, कस्बा चौमूॅं, तहसील चौमूॅं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :—03.10.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.07.2025 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रेजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। उक्त कुर्रेजात के संबंध में आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी ने केवल मात्र पत्रावली के निस्तारण में देरीना करने की गरज से एवं तकासमा एवं हिस्से के संबंध में उज्र आपत्ति एवं ऐतराज नही किये जाने से प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात खारिज किया जाता है तथा बहस कुर्रेजात पर सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखा जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार पालना करते हुए बनाये गये है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 18.08.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि खाता संख्या 38 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1866 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1867 रकबा 0.14 हैक्टेयर, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर, खाता संख्या 899, में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1870 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1872 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1869/7477 रकबा 0.35 हैक्टेयर, कुल किता 03 का कुल रकबा 1.31 हैक्टेयर, भूमि वाके दुल्हें सिंह की ढाणी, कस्बा चौमूं, जिला जयपुर, का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. नाना देवी पत्नी अर्जुन लाल जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1869/7477/2 रकबा 0.0800 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0837 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. मीरा देवी पत्नी कालूराम जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1869/7477/1 रकबा 0.0875 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0875 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. नाना देवी पत्नी अर्जुन लाल हिस्सा 1/2, सुकुरी देवी पत्नी सांवरमल हिस्सा 1/2 जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1869/7477/3

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

रकबा 0.0150 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0150 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

4. अर्जुन लाल, हरिकिशन, सुरेश, मुकेश पिता रतनलाल जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1867/2 रकबा 0.0400 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0400 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

5. कालू, चन्दाराम, नरेन्द्र, पप्पू, लालचन्द, पिता ईश्वर, प्रभाती देवी, प्रेम देवी पुत्रिया ईश्वर हिस्सा 1/2 शंकर पुत्र जवाहर, झम्मू, ममता पुत्री जवाहर हिस्सा 1/2 जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1866 रकबा 0.0900 है0, खसरा नम्बर 1867/1 रकबा 0.0250 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1150 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

6. अर्जुनलाल, हरिकिशन, सुरेश, मुकेश पिता रतनलाल हिस्सा 1/2, सुकुरी देवी पत्नी सांवरमल हिस्सा 1/2 जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1867/4 रकबा 0.0350 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0350 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

7. मन्नी देवी पत्नी रतनलाल जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1870/2 रकबा 0.4800 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.4800 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

8. सुकुरी देवी पत्नी सांवरमल जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1867/3 रकबा 0.0400 है0, खसरा नम्बर 1869/7477/4 रकबा 0.1675 है0, खसरा नम्बर 1870/1 रकबा 0.1600 है0, खसरा नम्बर 1872 रकबा 0.3200 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.6875 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

नोट :– खातेदार लाडा देवी पत्नी ईश्वर लाल, चन्दाराम पुत्र ईश्वर लाल, जवाहर पुत्र धन्नाराम फौत हो चुके है न्यायालय द्वारा किये गये कायम मुकाम अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गयी है। खाता संख्या 946 में खसरा नम्बर 1870, 1872 में खातेधार मन्नी देवी पत्नी रतन लाल को पक्षकार नही बनाया गया है वरवक्त दावा मन्नी देवी खातेदार नही थी दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 13 से हिस्सा 1/2 क्रय किया है।

नोट :– उक्त अन्तिम डिक्री की पालना, पूर्व में प्राप्त कुर्रेजात दिनांक 18.08.2025 व सर्वे रिसर्वे के दौरान बने खसरा नम्बर एवं जारी मिलान क्षेत्रफल आदि के अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। उक्त बटवारे का राजस्व रिकॉर्ड में अमल नही होने तक उभयपक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि पक्षकारान एक

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

दूसरे की भूमि को खुर्द–बुर्द एवं दखलन्दाजी व निर्माण आदि नही करे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दपतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 03.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0 ट्रे0 / मुख्यालय)चौमूँ

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–549 / 94 / 2009

उनवान

श्रीमती सुकुरी देवी पत्नी सांवरमल, जाति जाट, निवासी दुल्हें सिंह की ढाणी, करबा चौमूँ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

<u>बनाम</u>

1. अर्जुन पुत्र रतन लाल,
2. हरिकिशन पुत्र रतन लाल,
3. सुरेश पुत्र रतन लाल,
4. मुकेश पुत्र रतन लाल,
5. श्रीमती लाडा देवी पत्नी ईश्वर लाल, (मृतक दौराने दावा)
6. चन्दाराम पुत्र ईश्वर लाल, (मृतक दौराने दावा)
   6/1. बिमला देवी पत्नी स्व0 चन्दाराम,
   6/2. सुरज्ञान पुत्र स्व0 चन्दाराम,
   6/3. बाबू लाल पुत्र स्व0 चन्दाराम,
   6/4. मंजू देवी पुत्री स्व0 चन्दाराम,
   6/5. आशा देवी पुत्री स्व0 चन्दाराम,
7. नरेन्द्र पुत्र ईश्वर लाल,
8. कालू पुत्र ईश्वर लाल,
9. लाल चन्द पुत्र ईश्वर लाल,
10. पप्पू पुत्र ईश्वर लाल,
11. प्रभाती देवी पुत्री ईश्वर लाल,
12. प्रेम देवी पुत्री ईश्वर लाल,
13. जवाहर पुत्र धन्नाराम (मृतक दौराने दावा)
    13/1. शंकर पुत्र स्व0 जवाहर,
    13/2. झम्मू पुत्री स्व0 जवाहर,
    13/3. ममता पुत्री स्व0 जवाहर,
14. फुली देवी बैवा मुरली,
15. श्रवणी देवी बैवा रमेश,
16. सुनाक्षी पुत्री स्व0 रमेश, नाबालिक जरिये संरक्षक माता श्रवणी देवी बेवा सुरेश, समस्त जाति जाट, निवासीयान् दुल्हे सिंह की ढाणी, करबा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
17. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चौमूँ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
19. नाना देवी पत्नी अर्जुन लाल, जाति जाट, निवासी दुल्हें सिंह की ढाणी, करबा चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

20. मीरा देवी पत्नी कालूराम, जाति जाट, दुल्हें सिंह की ढाणी, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–549/94/2009

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि खाता संख्या 38 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1866 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1867 रकबा 0.14 हैक्टेयर, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.23 हैक्टेयर, खाता संख्या 899, में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1870 रकबा 0.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1872 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1869/7477 रकबा 0.35 हैक्टेयर, कुल किता 03 का कुल रकबा 1.31 हैक्टेयर, भूमि वाके दुल्हें सिंह की ढाणी, कस्बा चौमूं, जिला जयपुर, का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. नाना देवी पत्नी अर्जुन लाल जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1869/7477/2 रकबा 0.0800 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0837 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. मीरा देवी पत्नी कालूराम जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1869/7477/1 रकबा 0.0875 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0875 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. नाना देवी पत्नी अर्जुन लाल हिस्सा 1/2, सुकुरी देवी पत्नी सांवरमल हिस्सा 1/2 जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1869/7477/3 रकबा 0.0150 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0150 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. अर्जुन लाल, हरिकिशन, सुरेश, मुकेश पिता रतनलाल जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1867/2 रकबा 0.0400 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0400 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
5. कालू, चन्दाराम, नरेन्द्र, पप्पू, लालचन्द, पिता ईश्वर, प्रभाती देवी, प्रेम देवी पुत्रिया ईश्वर हिस्सा 1/2 शंकर पुत्र जवाहर, झम्मू, ममता पुत्री जवाहर हिस्सा 1/2 जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1866 रकबा 0.0900 है0,

(फास्ट ट्रेक)
चौमूं, जयपुर

खसरा नम्बर 1867/1 रकबा 0.0250 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.1150 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

6. अर्जुनलाल, हरिकिशन, सुरेश, मुकेश पिता रतनलाल हिस्सा 1/2, सुकुरी देवी पत्नी सांवरमल हिस्सा 1/2 जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1867/4 रकबा 0.0350 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0350 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
7. मन्नी देवी पत्नी रतनलाल जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1870/2 रकबा 0.4800 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.4800 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
8. सुकुरी देवी पत्नी सांवरमल जाति जाट, सा0 देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 1867/3 रकबा 0.0400 है0, खसरा नम्बर 1869/7477/4 रकबा 0.1675 है0, खसरा नम्बर 1870/1 रकबा 0.1600 है0, खसरा नम्बर 1872 रकबा 0.3200 है0, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.6875 है0, भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

नोट :– खातेदार लाडा देवी पत्नी ईश्वर लाल, चन्दाराम पुत्र ईश्वंर लाल, जवाहर पुत्र धन्नाराम फौत हो चुके है न्यायालय द्वारा किये गये कायम मुकाम अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गयी है। खाता संख्या 946 में खसरा नम्बर 1870, 1872 में खातेधार मन्नी देवी पत्नी रतन लाल को पक्षकार नही बनाया गया है वरवक्त दावा मन्नी देवी खातेदार नही थी दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 13 से हिस्सा 1/2 क्रय किया है।

नोट :– उक्त अन्तिम डिक्री की पालना, पूर्व में प्राप्त कुर्रेजात दिनांक 18.08.2025 व सर्वे रिसर्वे के दौरान बने खसरा नम्बर एवं जारी मिलान क्षेत्रफल आदि के अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 03.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
ओहदा .... कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जयपुर

मुकदमा सं0–549/94/2009
उनवान–सुकुरी देवी बनाम अर्जुन वगै0
निर्णय दिनांक–03.10.2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
नं. जयपुर

Scanned with OKEN Scanner